संoसं0–7/प्रा0–01–01/2017– 133(7)a

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी संबंधित सिविल सर्जन
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक 17-01-2018

विषयः– **स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–0001–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड– 20–2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹23,80,96,018/– (तेईस करोड़ अस्सी लाख छियान्वे हजार अटठारह) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या–16(7)ब दिनांक–15.05.17, 23(7)ब दिनांक–26.05.17, 31(7)ब दिनांक–07.07.17, 37(7)ब दिनांक–20.07.17, 43(7)ब दिनांक–17.08.17, 55(7)ब दिनांक–04.09.17, 58(7)ब दिनांक–07.09.17, 62(7)ब दिनांक– 18.09.17, 65(7)ब दिनांक–21.09.17, 76(7)ब दिनांक–25.09.17, 87(7) ब दिनांक–13.10.17 एवं 91(7)ब दिनांक–17.10.17, 93(7)ब दिनांक–18.10.17, 107(7)ब दिनांक–7.12.17 124(7)ब दिनांक–29.12.17 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–2018 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹23,80,96,018/– (तेईस करोड़ अस्सी लाख छियान्वे हजार अटठारह) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या–20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–0001–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड – 20–2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम औषधालय एवं जिला प्रशिक्षण दल के कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी। एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेगे।

5. आहार/पथ्य, वाहन का इंधन एवं रखरखाव, सामग्री–पूर्त्तियाँ, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। साथ ही विभाग द्वारा जिस संस्थान को जो राशि आवंटित की जा रही है उसी संस्थान में व्यय सुनिश्चित की जाय। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी।

7. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं।

8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय; व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

10. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक– 15.03. 2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

11. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रकिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

12. मकान किराया के भुगतान के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कोषागार पदाधिकारी से पूर्व में भुगतान नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही राशि का व्यय सुनिश्चित करेंगे । सक्षम पदाधिकारी का मकान किराया निर्धारण आदेश एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग का भवन अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की मूल प्रति से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करेंगे ।

13. मकान किराया का भुगतान सिर्फ उन्हीं संस्थानों को किया जायेगा जिनका किराया की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गयी हो । जिनकी स्वीकृति विभाग द्वारा प्राप्त नहीं हो उनका भुगतान बिना स्वास्थ्य विभाग की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा ।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं विभागीय राज्यादेश संख्या–1307 (21) दिनांक–19.11.86 में निर्धारित दर (अधिकतम 10,000/–) दस हजार रूपये वार्षिक में से जो कम हो का ही भुगतान करेंगे । इसमें किसी प्रकार की अनियमितता होगी तो इसके लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दोषी होंगे ।

15. वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय।

16. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

17. संविदा सेवाएँ (28–02) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे ।

18. सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में आवंटित राशि से सतरंगी चादर संबंधित भुगतान की राशि भी सम्मिलित है ।

19. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

20. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 17/1/18

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 133(7)9 पटना, दिनांक : 17-01-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी–3, 7/प्रशाखा पदाधिकारी, / आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 17/1/18

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2017–2018 में बिहार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ग्राम औषधालयों (विपत्र कोड 20–2210031030001) का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव (13–02)	विद्युत प्रभार (13–04)	विधि प्रभार (13–05)	वर्दी/ पोषाक (13–06)	किराया महशूल एवं कर (14–01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	दवा भंडार (21–02)	आहार/ पथ्य (21–03)	संविदा सेवाएँ (28–02)	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	पटना	2000000	4000000	4000	50000	2000	2000	6058000	20000	20000	0	100000	100000	100000	100000	0	0	900000	10000000	0	17398000	186/9.1.18
2	भोजपुर	1800000	3600000	23400	0	23400	1800	5448600	10000	10000	0	0	0	0	100000	500000	5000000	0	0	500000	11568600	3911/16.12.17
3	कटिहार	800000	1600000	8000	0	800	800	2409600	50000	50000	0	0	0	50000	0	100000	5000000	1000000	10000000	200000	18859600	2065/14.12.17
4	सीतामढ़ी	1800000	3600000	18000	0	1800	1800	5421600	20000	20000	0	0	0	0	0	0	5000000	100000	10000000	0	20561600	3061/14.12.17
5	समस्तीपुर	1800000	3600000	18000	0	1800	3600	5423400	0	0	0	0	0	50000	186877	0	0	0	0	0	5660277	2526/1.12.17, 2682/21.12.17
6	अरवल	1300000	2600000	13000	0	1300	2600	3916900	0	0	400000	0	0	100000	0	0	3500000	300000	10000000	0	18216900	1273/27.12.17
7	कैमूर	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	40000	0	0	0	0	100000	5000000	300000	10000000	500000	15980000	1473/15.12.17
8	सहरसा	1800000	3600000	18000	0	1800	3600	5423400	15000	15000	0	0	0	30000	0	0	0	500000	5000000	0	10983400	2499/15.12.17
9	किशनगंज	1800000	3600000	18000	0	1800	3600	5423400	20000	20000	0	0	0	40000	0	0	0	0	10000000	0	15503400	2387/22.11.17
10	बेतिया	1800000	3600000	18000	0	1800	3600	5423400	0	20000	50000	0	0	0	50000	1000000	0	500000	10000000	1000000	18043400	2385/11.12.17
11	गया	1200000	2520000	24000	0	3400	3056	3750456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3750456	3001/13.11.17
12	मधेपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	30000	100000	2000000	500000	5000000	500000	8150000	1397/11.12.17
13	वैशाली	1800000	3600000	18000	0	1800	3600	5423400	0	0	0	0	0	0	0	100000	1000000	0	10000000	0	16523400	2394/16.12.17
14	अररिया	1800000	3600000	18000	0	1800	3600	5423400	0	0	0	0	0	50000	0	100000	500000	0	10000000	200000	16273400	1763/12.12.17
15	पूर्णिया	1800000	3600000	18000	0	1800	3600	5423400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0	15423400	3177/14.12.17
16	लखीसराय	1800000	3600000	18000	0	1800	3600	5423400	5000	10000	0	0	0	20000	0	0	0	200000	0	0	5658400	1355/6.11.17
17	सीवान	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	50000	50000	500000	1000000	0	7000000	500000	9120000	8084/18.12.17
18	गोपालगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21785	0	0	0	0	0	21785	2721/12.12.17
19	मधुबनी	0	0	0	0	0	0	0	100000	200000	0	0	0	100000	0	0	0	0	10000000	0	10400000	2913/11.12.17
	कुल	23300000	46720000	234400	50000	47100	40856	70392356	270000	415000	490000	100000	100000	590000	538662	2500000	28000000	4300000	127000000	3400000	238096018	

(तेईस करोड़ अस्सी लाख छियान्वे हजार अठारह) रू0 मात्र

133(7)a
17-01-18

17/1/18
सरकार के विशेष सचिव

<u>उपबंध की स्थिति</u>

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001–01–01)	2697650000	2672073000	23300000	2695373000	2277000
2	जीवन यापन भत्ता (0001–01–03)	3697230000	3649526160	46720000	3696246160	983840
3	मकान किराया भत्ता (0001–01–04)	34660000	33788500	234400	34022900	637100
4	परिवहन भत्ता (0001–01–05)	1720000	1642000	50000	1692000	28000
5	चिकित्सा भत्ता (0001–01–06)	31470000	30805600	47100	30852700	617300
6	अन्य भत्ता (0001–01–07)	32270000	31437975	40856	31478831	791169
7	त्यौहार अग्रिम (0001–01–08)	5000000	0	0	0	5000000
	योग 20-2210.03.103.0001.01-वेतन	**6500000000**	**6419273235**	**70392356**	**6489665591**	**10334409**
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001–06–01)	2000000	1996474	0	1996474	3526
9	यात्रा व्यय (0001–11–01)	2000000	1550600	270000	1820600	179400
10	कार्यालय व्यय (0001–13–01)	7700000	5355000	415000	5770000	1930000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव(0001–13–02)	5500000	4320000	490000	4810000	690000
12	दूरभाष (0001–13–03)	1000000	1000000	0	1000000	0
13	विद्युत प्रभार (0001–13–04)	40000000	39895000	100000	39995000	5000
14	विधि प्रभार (0001–13–05)	2000000	1891900	100000	1991900	8100
15	वर्दी/ पोषाक (0001–13–06)	6390000	3381200	590000	3971200	2418800
16	किराया महसूल एवं कर (0001–14–01)	5900000	5320500	538662	5859162	40838
17	प्रशिक्षण व्यय (0001–20–03)	45000000	0	0	0	45000000
17	सामग्री एवं पूर्तियॉं (0001–21–01)	38500000	26094500	2500000	28594500	9905500
18	दवा भंडार (0001–21–02)	660000000	605694985	28000000	633694985	26305015
19	आहार/ पथ्य (0001–21–03)	100000000	66603000	4300000	70903000	29097000
20	लघु कार्य (0001–27–01)	1000	0	0	0	1000
21	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0001–27–02)	10000000	0	0	0	10000000
22	संविदा सेवाऍं (0001–28–02)	2000000000	1635240000	127000000	1762240000	237760000
23	मशीने एवं उपस्कर (0001–52–01)	30000000	18021000	3400000	21421000	8579000
	कुल योगः–	**9455991000**	**8835637394**	**238096018**	**9073733412**	**382257588**

133(7)व
17-01-18

17/1/18
सरकार के विशेष सचिव